सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 358
10/04/2026

वेतन एवं पेंशन भुगतान से संबंधित कोई समस्या नहीं

बिजेन्द्र प्रसाद यादव
वित्त मंत्री

पटना, 10 अप्रैल 2026 :– माननीय वित्त मंत्री, बिहार श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा बताया गया कि कतिपय समाचार माध्यम द्वारा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान सभा का वेतन भुगतान अब तक नहीं किये जाने से संबंधित तथाकथित सूचना के आलोक में बिहार विधान सभा सचिवालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। बिहार विधान सभा सचिवालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय नेता प्रतिपक्ष (बिहार विधान सभा) का पूर्व का बकाया वेतन विपत्र (दिनांक-15.11.2025 से 02.12.2025 तक) बिहार विधानसभा कार्यालय के द्वारा दिनांक-18.03.2026 को सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना में प्रस्तुत किया गया व उसी दिन कोषागार के द्वारा पारित कर दिया गया। माननीय नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान सभा के माह दिसम्बर, 2025 से मार्च, 2026 के मासिक वेतन का विपत्र बिहार विधान सभा कार्यालय के द्वारा आज दिनांक-10.04.2026 को पूर्वाह में सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना में प्रस्तुत किया गया जिसे संबंधित कोषागार द्वारा आज ही पूर्वाह्न में पारित कर दिया गया।

माननीय वित्त मंत्री, बिहार श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा माननीय विधानमंडल के सदस्यों के साथ-साथ राज्य सरकार के समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों के माह मार्च, 2026 के वेतन एवं पेशन का भुगतान दिनांक-02 अप्रैल 2026 से बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से किया जा रहा है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग में वेतन एवं पेंशन भुगतान से संबंधित कोई समस्या किसी स्तर पर नहीं है।